कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय
पूसा, नई दिल्ली

केन्द्रीय क्षेत्र योजना एग्री–क्लीनिक एवं एग्री–बिजनेस केंद्रों (एसीएबीसी) की स्थापना

केन्द्रीय क्षेत्र योजना ''एग्री–क्लीनिक एवं एग्री–बिजनेस केंद्रों (एसीएबीसी) की स्थापना'' निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ वर्ष 2002 से कार्यान्वित की जा रही है:

(i) बेरोजगार कृषि स्नातकों, कृषि डिप्लोमा धारकों, कृषि में इंटर और कृषि से संबंधित पाठ्यक्रमों में परास्नातक सहित विज्ञान स्नातकों के लिए लाभदायक स्व–रोजगार के अवसर पैदा करना ।

(ii) कृषि विकास में सहायता करना; तथा

(iii) किसानों को विस्तार एवं अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करके सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को पूरा करना।

यह योजना कृषि विस्तार और कृषि क्षेत्रों में कृषि उद्यमों की स्थापना के माध्यम से सार्वजनिक विस्तार प्रणाली के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए कृषि–उद्यमियों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। ये कृषि–उद्यमी किसानों को आधारभूत जानकारियों सहित सलाहकारी और विस्तार सेवाएं प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), भारत सरकार का शीर्ष स्तर का एक संस्थान है जो प्रशिक्षण घटक के लिए समग्र कार्यान्वयन एजेंसी है और पूरे देश में चयनित नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) के माध्यम से अभ्यर्थी को दो महीने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में, विभिन्न राज्यों में 114 प्रमुख नोडल प्रशिक्षण संस्थान हैं। नोडल प्रशिक्षण संस्थानों की सूची संलग्न है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बैंकों के लिए एक नोडल संस्थान है जो वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि–क्लीनिक को ऋण सहायता की निगरानी के लिए जिम्मेदार है और योजना के अंतर्गत बैंकों को पुनर्वित्त सहायता बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है।

(ii) योग्यता मानदंड:

योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि स्नातक के अलावा निम्नलिखित योग्यताधारक भी पात्र हैं :

क) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि और संबद्ध विभागों और राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग से कृषि और संबद्ध विभागों में डिप्लोमा (कम से कम 50% अंकों के साथ)/स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक। कृषि और संबद्ध विषयों में अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा धारकों को राज्य सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग की मंजूरी के अधीन माना जा सकता है।

ख) कृषि और संबद्ध विषय में परास्नातक सहित जैविक विज्ञान स्नातक।

ग) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रम जिसमें कृषि और संबद्ध विषयों में 60 प्रतिशत से अधिक पाठ्यक्रम सामग्री हो।

घ) मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से बीएससी के बाद जैविक विज्ञान सहित कृषि और संबद्ध विषयों में 60 प्रतिशत से अधिक पाठ्यक्रम सामग्री सहित डिप्लोमा/परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

च) कम से कम 55% अंकों के साथ इंटरमीडिएट (अर्थात प्लस टू) स्तर पर कृषि पाठ्यक्रम।

योजना संचालन :

(i) योजना के कार्यान्वयन/निष्पादन और प्रशिक्षण के लिए मैनेज नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) का चयन और नियुक्ति मानदंडों के आधार पर करता है।

(ii) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योग्यता रखने वाला कोई भी उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र है (आयु कोई रुकावट नहीं है)। संबंधित राज्यों में स्थित एनटीआई में कृषि व्यवसाय पहलुओं, बाजार सर्वेक्षण इत्यादि को ध्यान में रखते हुए केवल चयनित उम्मीदवारों को दो महीने का प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है। एनटीआई प्रशिक्षित स्नातकों को परियोजना की तैयारी में भी सुविधा प्रदान करता है, जिसे वे लेने का इरादा रखते हैं।

(iii) प्रशिक्षण लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार **बेवसाइट** www.acabcmis.gov.in **पर ओनलाइन आवेदन करने के लिए अपना** नाम, जन्मतिथि, लिंग, शैक्षिक योग्यता, स्थायी पता (गांव/शहर/ब्लॉक/जिला/राज्य पिन कोड संख्या सहित, टेलीफोन और ईमेल पता, यदि कोई हो, मैनेज, हैदराबाद के पक्ष में देय गैर–वापसी योग्य आवेदन शुल्क के रूप में रुपये 500/– का डीडी सहित संचार के लिए पता, पासपोर्ट आकार की तस्वीर संलग्न करके और **आधार कार्ड व** डिग्री प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न **करें** । प्रशिक्षित उम्मीदवार बैंकों से कुल परियोजना लागत के लिए स्टार्ट–अप ऋण ले सकते हैं।

(iv) वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में और परियोजना/कृषि उद्यम शुरू करने में प्रशिक्षित कृषि स्नातकों की सहायता के लिए एक वर्ष तक एनटीआई को हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान की जाती है। एसीएबीसी योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार है :

एसीएबीसी योजना के अंतर्गत कृषि उद्यमों की सांकेतिक सूची

- विस्तार परामर्श सेवाएं
- मृदा और पानी की गुणवत्ता सह इनपुट परीक्षण प्रयोगशालाएं
- फसल संरक्षण सेवाओं सहित कीट निगरानी, नैदानिक और नियंत्रण सेवाएं (वायरस, कवक, बैक्टीरिया, नेमाटोड, और कीट रोग सहित रोगजनक पौधों का पता लगाना के लिए कल्चर रूम सहित, आटोक्लेव, माइक्रोस्कोप, एलिसा किट आदि)
- प्लांट टिशु कल्चर लैब सहित सूक्ष्म प्रसार एवं इकाइयाँ
- उत्पादन, रखरखाव और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित कृषि उपकरण और मशीनरी को किराये पर लेना
- बीज उत्पादन एवं प्रसंस्करण इकाइयाँ
- वर्मीकल्चर इकाइयाँ
- जैव–उर्वरकों, जैव–कीटनाशकों एवं अन्य जैव–नियंत्रण एजेंट का उत्पादन
- मधुमक्खी पालन और शहद और मधुमक्खी उत्पाद के प्रसंस्करण की इकाइयाँ

- कृषि बीमा सेवाएं
- कृषि पर्यटन
- कृषि पत्रकारिता – फिल्म निर्माण, कृषि प्रकाशन एवं प्रदर्शनियां
- मुर्गी एवं मत्स्य पालन प्रजनन
- फ्रोजन वीर्य बैंक और तरल नाइट्रोजन आपूर्ति एवं कृत्रिम वीर्यसेचन सहित पशुधन स्वास्थ्य कवर, पशु चिकित्सा दवाइयां और सेवाएं;
- सूचना प्रौद्योगिकी कियोस्क;
- चारा उत्पादन, विपणन एवं परीक्षण इकाइयां
- मूल्यवर्धन केंद्र
- शीत भंडारण इकाइयों सहित कूल चेन।
- छंटाई, ग्रेडिंग, मानकीकरण, भंडारण और पैकेजिंग के लिए फसलोपरांत प्रबंधन केंद्र
- धातु और गैर–धातु भंडारण संरचनाएं
- बागवानी क्लिनिक, नर्सरी, भूनिर्माण, फूलों की खेती
- रेशम उत्पादन
- सब्जी उत्पादन और विपणन
- प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के लिए खुदरा विपणन केन्द्र;
- कृषि निवेश एवं आदानों का उत्पादन और विपणन
- अनुबंध खेती;
- फसल उत्पादन और प्रदर्शन;
- मशरूम उत्पादन;
- औषधीय और सुगंधित पौधों का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन;
- डेयरी, पोल्ट्री, सुअर, मत्स्य पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, इमू पालन, खरगोश पालन आदि जैसी उत्पादन इकाइयां।

नोट : उपर्युक्त गतिविधियां प्रकृति में संकेतक हैं। इस योजना में कोई अन्य गतिविधि जैसे; कृषि, बागवानी, रेशम पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन उम्मीदवारों द्वारा संबद्ध क्षेत्रों या उपर्युक्त में से दो या अधिक के संयोजन से चुनी गई गतिविधियां, जो कृषि उद्यमियों के लिए आय उत्पन्न करते हों और किसानों के लिए विस्तार सेवाएं प्रदान करते हों, भी पात्र होंगे।

क्रेडिट और सब्सिडी सहायताः

इस योजना के तहत सहायता पूरी तरह से क्रेडिट लिंक्ड होंगी और आर्थिक व्यवहार्यता और व्यावसायिक विचारधाराओं के आधार पर वाणिज्यिक/सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा परियोजना की मंजूरी के अधीन होगी। पुनर्भुगतान अवधि गतिविधि की प्रकृति पर निर्भर करेगी और 5–10 वर्ष के बीच अलग–अलग होगी। पुनर्भुगतान अवधि में 2 वर्ष की अधिकतम अनुग्रह अवधि शामिल हो सकती है।

सावधि ऋण पर ब्याज दर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार होगी और इस संबंध में बैंक की नीति घोषित की जाएगी। मौजूदा मानदंडों के अनुसार 5 लाख रुपये तक के ऋण के मामले में किसी भी प्रकार की

मार्जिन मनी की आवश्यकता नहीं है। सामान्य श्रेणी के उद्यमी द्वारा योगदान की जाने वाली मार्जिन मनी प्रचलित मानदंडों के अनुसार होगी। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थियों के संबंध में रियायत की जाएगी।

ऋण लेने के लिए सुरक्षा समय–समय पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, और परियोजना के पूरा होने की समय सीमा परियोजना के तहत अनुमानित की जाएगी, जो कि वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण की पहली किश्त को वितरण की तारीख से अधिकतम 6 महीने की अवधि तक होगी जिसे 6 महीने की अवधि तक और बढ़ाया जा सकता है।

इस योजना में अलग–अलग परियोजना के लिए 20 लाख रुपये तक और समूह परियोजना के लिए 100 लाख रुपये तक ऋण सहायता (स्टार्ट–अप लोन) का प्रावधान है। वित्तीय सहायता वाणिज्यिक बैंकों (सार्वजनिक और निजी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त बैंक ऋण पर क्रेडिट लिंक्ड बैक–एंडेड अपफ्रंट कंपोज़िट सब्सिडी का प्रावधान है। महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और उत्तर–पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के उम्मीदवारों की सभी श्रेणियों के लिए 44 % और अन्य श्रेणियों के संबंध में 36 % सब्सिडी है।

एसीएबीसी योजना के अंतर्गत नई पहल

एसीएबीसी योजना के निष्पादन, व्यापकता और सफलता दर में सुधार करने के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित परिवर्तन/संशोधन किए गये हैं:

(i) दो महीने की अवधि के कार्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रशिक्षण लागत में 35000/– रुपये तक की वृद्धि।

(ii) पूंजी और ब्याज सब्सिडी से संयुक्त सब्सिडी में बदलना : मौजूदा सब्सिडी पैटर्न को 'पूंजी और ब्याज सब्सिडी' से 'संयुक्त सब्सिडी' में संशोधित किया गया है, जो महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्यों के सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए परियोजना लागत का 44 % और अन्य सभी के लिए परियोजना लागत का 36 % होगा।

(iii) परियोजनाओं की अधिकतम लागतः एसएफसी भी परियोजनाओं की अधिकतम लागत संशोधित करने पर सहमत हो गई हैं जो व्यक्तिगत परियोजना के लिए 20 लाख रुपये और समूह परियोजना (न्यूनतम पांच व्यक्तियों) के लिए 100 लाख रूपए तक होगी।

(iv) पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में भोजन, आवास, मानदेय, प्रशिक्षण व्यय और हैंडहोल्डिंग लागत के लिए 10 % अतिरिक्त राशि।

(v) इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात डीबीटी) शामिल किया गया है। इसके लिए, आधार विवरण अनिवार्य कर दिया गया है।

(vi) इस योजना के अंतर्गत स्थापित उद्यमों के लिए मुद्रा ऋण योजना के लाभ बढ़ाए गए हैं।

वास्तविक प्रगति

उपरोक्त योजना की स्थापना के बाद (अप्रैल 2002) से, मार्च 2018 तक देश में कुल 59189 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 25756 उद्यम स्थापित किए गए हैं। स्थापित उद्यमों में से उपर्युक्त तारीख तक 1998 उद्यमों को सब्सिडी दी गई है।

एसीएबीसी योजना की वर्ष–वार वास्तविक प्रगति निम्नानुसार है :

वर्ष	प्रशिक्षित कृषि स्नातक	स्थापित कृषि–उद्यमी
2002–03	3058	416
2003–04	1110	457
2004–05	2977	783
2005–06	2902	1415
2006–07	3149	1081
2007–08	2742	1039
2008–09	2503	1010
2009–10	2564	1111
2010–11	3224	1292
2011–12	4015	2139
2012–13	4425	2251
2013–14	4451	2322
2014–15	5437	2546
2015–16	5258	2587
2016–17	5728	2805
2017–18	5646	2502
कुल	59189	25756

एसीएबीसी योजना का विवरण www.agriclinics.net तथा www.acabcmis.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संगठन – मौसम पूर्व इंटरफेस

1. अवलोकनः कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच एक करीबी पारस्परिक विचार–विमर्श शुरू करने के उद्देश्य से जनवरी 1995 से कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच मौसमवार रबी पूर्व और खरीफ पूर्व पारस्परिक विचार विमर्श बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे संयुक्त प्रयासों से रणनीतियां बनाई जा सकें। इस तरह की पारस्परिक विचार–विमर्श बैठकों का मुख्य कार्य अनुसंधान विकास के लिए शुष्क क्षेत्रों की पहचान करना और उपलब्ध अनुसंधान निष्कर्षों का पूरा उपयोग करने वाली विकास रणनीतियों की सिफारिश के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना भी है।

2. अधिदेश : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंटरफेस वर्ष में दो बार अर्थात खरीफ पूर्व और रबी पूर्व मौसम में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष रबी और खरीफ मौसम से पूर्व दो ऐसी इंटरफेस बैठकें आयोजित करके कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान और विकास क्षेत्र से जुड़ी रणनीतियां तैयार की जाती हैं। यह इंटरफेस कृषि और संबद्ध गतिविधियों में उभरते मुद्दों पर चर्चा करने और फसल के बाद के मौसम के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रत्येक प्रभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उनके समकक्षों के साथ सामूहिक बैठकों का आयोजन करते हैं और आने वाले संबंधित मौसम (रबी/खरीफ) के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में चर्चा के लिए सामूहिक सिफारिशें तैयार करते हैं। इसके बाद एक पूर्ण सत्र सहित प्रत्येक विभागों, विचार–विमर्श और समूह सिफारिशों के बेहतर तालमेल से पहले से ही तैयार की गई प्रस्तुति के उपरांत सचिव (कृषि और सहकारिता) और सचिव (डीएआरई) की सह–अध्यक्षता में एक इंटरफेस बैठक आयोजित की जाती है। जोनल इनपुट कॉन्फ्रेंस (खरीफ और रबी मौसम के लिए वर्ष में दो बार आयोजित) के परिणाम के साथ उपर्युक्त सिफारिशें खरीफ/रबी अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में राज्यों के साथ चर्चा के लिए एजेंडा का गठन करेंगी। कृषि एवं सहकारिता विभाग–भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंटरफेस, सामान्यतः खरीफ/रबी के लिए कृषि अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन से 15 दिन पहले आयोजित किए जायेंगे।

3. संकल्पना : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंटरफेस कृषि के विभिन्न विभागों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ संबद्ध क्षेत्रों द्वारा चिन्हित किये गये शोध करने योग्य मुद्दों पर चर्चा करना, सामजस्य बैठाना और फिर खरीफ/रबी अभियान के दौरान राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करना।

4. गतिविधियां : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंटरफेस रखने के लिए विभिन्न कार्यों हेतु एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया है और इसे कृषि एवं सहकारिता विभाग सचिव (डीएआरई) –सह–डीजी (आईसीएआर) और सचिव (डीएएचडी और एफ) के सभी विभागों के बीच आयोजित किया जाएगा।

मौसम	संभावित तिथियां			
	राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के साथ क्षेत्रीय इनपुट सम्मेलन	विभागों द्वारा विषय वस्तु समूह सिफारिशों का गठन	सचिव (ए और सी) और सचिव (डीएआरई) की सह–अध्यक्षता के अंतर्गत डीएसी–आईसीएआर इंटरफेस	रबी/खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन
खरीफ	10–15 जनवरी	25–30 जनवरी	07–10 फरवरी	25–28 फरवरी
रबी	5–10 अगस्त	20–25 अगस्त	1–5 सितम्बर	15–20 सितम्बर

5. संभावित अनुसूची के अनुसार, 27 मार्च 2018 को सचिव (ए और सी) और सचिव (डीएआरई) –सह–डीजी (आईसीएआर) की संयुक्त अध्यक्षता में प्री–खरीफ 2018 डीएसी और एफडब्ल्यू–आईआईएआर इंटरफेस का आयोजन किया गया और समूह सिफारिशों पर अंतिम अनुशंसा को 25 व 26 अप्रैल 2018 को आयोजित खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा की गई थीं।

6. गतिविधियों की तस्वीरें :

कृषि एवं सहकारिता विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंटरफेस

प्री–खरीफ 2018 कृषि एवं सहकारिता विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंटरफेस

Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare
Directorate of Extension
Pusa, New Delhi

A. Central Sector Scheme Establishment of Agri-Clinics & Agri-Business Centres (ACABC)

The Central Sector Scheme "Establishment of the Agri-clinics and Agri-business Centres (ACABC)" is under implementation since 2002 with the following objectives:

(i) To create gainful self-employment opportunities to unemployed agricultural graduates, agricultural diploma holders, intermediate in agriculture and science graduates with PG in agri related courses.
(ii) To support agriculture development; and
(iii) To supplement efforts of public extension by necessarily providing extension and other services to farmers

The scheme promotes the involvement of agri-preneurs to supplement the efforts of public extension system by way of setting - up of agri-ventures in agriculture and allied areas. These agri-preneurs are actively involved in providing advisory and extension services including know-how to the farmers at grass root level.

National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), an apex level institute of GOI is the overall implementing agency for training component and imparting two months training to the Candidate through selected Nodal Training Institutes (NTIs) across the country. Presently, there are 114 identified Nodal Training Institutes in various States. The list of NTIs is annexed.

National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) is the Nodal Institute for banks who is responsible for monitoring the credit support to Agri-clinics through commercial banks and is also responsible for extending refinance support to the banks under the scheme.

ii) Eligibility Criteria:

In addition to **Agriculture Graduates,** following qualifications have also been made eligible for availing the Scheme benefits:

a) Diploma (with at least 50% marks)/Post Graduate Diploma holders in agriculture and allied subjects from State Agricultural Universities, State Agriculture and Allied Departments and State Department of Technical Education. Diploma in agriculture and allied subjects offered by other agencies may also be considered subject to approval of Department of Agriculture & Cooperation, Government of India on recommendation of the State Government.
b) Biological Science Graduates with PG in agriculture & allied subject.
c) Degree courses recognized by UGC having more than 60 per cent of the course content in agriculture and allied subjects.
d) Diploma/PG Diploma courses with more than 60 per cent of the course content in Agriculture and allied subjects, after B.Sc. with Biological Sciences, from recognized colleges and universities.
e) Agriculture courses at intermediate (i.e. plus two) level, with at least 55% marks.

Scheme Operation:

(i) MANAGE selects and appoints Nodal Training Institutes (NTIs) based on criteria for conducting the trainings and execution / implementation of the scheme.

(ii) Any candidate possessing qualification in agriculture and allied areas is eligible to apply (age is no bar). Only selected candidates are provided two months training free of cost keeping in view the agribusiness aspects, market survey etc in NTIs located in respective states. The NTIs also facilitate the trained graduates in preparation of a project they intend to take up.

(iii) Interested candidates desirous of undergoing training may apply online to website www.acabcmis.gov.in giving Name, Date of Birth, Sex, Educational Qualification, Permanent Address (Village / Town / Block / District / State with pin code number, telephone & email address, if any, address for communication along with D.D. for Rs.500/- as non-refundable application fee drawn in favour of MANAGE payable at Hyderabad, enclosing passport size photograph and an attested copy AADHAR Card , degree certificate. Trained candidate can avail start up loan for total project cost from Banks.

(iv) The NTIs are provided with the handholding support for assisting the trained agriculture graduates up-to one year in getting the loan sanctioned from commercial banks and execution of the project / agri-venture. The list of eligible projects under ACABCs scheme is as under:

INDICATIVE LIST OF AGRI VENTURES UNDER ACABC SCHEME

- Extension consultancy services
- Soil and water quality cum inputs testing laboratories
- Crop protection services, including pest surveillance, diagnostic and control services *(with culture rooms, autoclaves, microscopes, ELISA Kits etc. for detection of plant pathogens including viruses, fungi, bacteria ,nematodes, and insect pests)*
- Micro-propagation including plant tissue culture labs and hardening units;
- Production, maintenance and custom hiring of agricultural implements and machinery including micro irrigation systems;
- Seed production and processing units;
- Vermiculture units;
- Production of bio-fertilizers, bio-pesticides & other bio-control agents;
- Apiaries (bee-keeping) and honey & bee products' processing units;
- Agricultural insurance services;
- Agri tourism
- Agri journalism – film production, farm publications and exhibitions;
- Poultry and fishery hatcheries;
- Livestock health cover, veterinary dispensaries & services including frozen semen banks and liquid nitrogen supply and artificial insemination;
- Information technology kiosks;
- Feed production, marketing and testing units;
- Value addition centres;
- Cool chain including cold storage units.
- Post harvest management centres for sorting, grading, standardization, storage and packaging;
- Metallic and non-metallic storage structures.
- Horticulture clinic, nursery, landscaping, floriculture

- Sericulture;
- Vegetable production and marketing;
- Retail marketing outlets for processed agri-products;
- Production and marketing of farm inputs & outputs;
- Contract farming;
- Crop production and demonstration;
- Mushroom production;
- Production, processing and marketing of medicinal and aromatic plants;
- Production units like dairy, poultry, piggery, fisheries, sheep rearing, goat rearing, emu rearing, rabbit rearing etc.

Note: The above activities are indicative in nature. Any other activity in agriculture, horticulture, sericulture, animal husbandry, fisheries, allied sectors or combination of two or more of the above activities selected by the candidates, which, generate income to the agri-preneurs and render extension services to the farmers will also be eligible under the

Credit and Subsidy Assistance:

Assistance under the scheme would be purely credit linked and subject to sanction of the project by commercial / cooperative / Regional Rural banks based on economic viability and commercial considerations. The repayment period will depend on the nature of activity and will vary between 5-10 years. The repayment period may include a maximum grace period of 2 years.

Rate of interest on term loan shall be as per RBI guidelines and declared policy of the bank in this regard. In case of loans upto Rs.5 lakhs no margin money is required as per present norms. The margin money to be contributed by the general category entrepreneur will be as per prevailing norms. However, concession would be made in respect of SCs/STs, Women and beneficiaries of North Eastern states and Hill areas.

The security for availing the loan will be as per the guidelines issued by RBI from time to time, and the time limit for the completion of the project would be as envisaged under the project subject to a maximum of 6 months period from the date of disbursement of the first instalment of the loan by financial institution which may be extended for a further period of 6 months.

The scheme has a provision of credit support (start up loan) upto Rs.20 lakhs for individual project and Rs.100 lakhs for a group project. The financial assistance is provided through commercial banks (public and private), Regional Rural Banks (RRBs), State Cooperative Banks.

There is a provision of Credit linked back-ended upfront composite subsidy on the bank loan availed by trained candidates under the Scheme. The subsidy is 44% in respect of women, SC/ST and all categories of candidates from North-Eastern and Hill States and 36% in respect of other categories.

New Initiatives under ACABC Scheme

In order to improve the performance, outreach and success rate of ACABC scheme following modifications/revisions have been made for its implementation during XI and XII Plan:

(i) **Enhancement of training cost** to Rs.35000/- per trainee for two month duration programme.

(ii) **Change from capital & interest subsidy to composite subsidy:** Subsidy pattern has been revised from existing “capital and interest subsidy” to “composite subsidy”, which will be 44%

of project cost for women, SC/ST & all categories of candidates from NE and Hill states and 36% of project cost for all others.

(iii) **Ceiling cost of the projects:** SFC also agreed to revise cost ceiling of projects to Rs.20 lakh for individual's project and to Rs.100 lakh for a group project (minimum of five individuals).

(iv) Additional amount of 10% on food, accommodation, honorarium, training expenditure and handholding cost in NE and Hill States.

(v) Direct Benefit Transfer (DBT) has been inducted under the scheme. For this, Aadhaar particulars are made mandatory.

(vi) Benefits of MUDRA loan scheme are extended for ventures established under the scheme.

Physical Progress

Since inception of the said scheme (April 2002), a total number of **59189** candidates have been trained and **25756** ventures have been established in the country till March, 2018. Among the ventures established, 1998 number were extended subsidy as on this date.

The year-wise physical progress of ACABCs scheme is as under:

Year	Agri. Graduates Trained	Agri-Ventures Established
2002-03	3058	416
2003-04	1110	457
2004-05	2977	783
2005-06	2902	1415
2006-07	3149	1081
2007-08	2742	1039
2008-09	2503	1010
2009-10	2564	1111
2010-11	3224	1292
2011-12	4015	2139
2012-13	4425	2251
2013-14	4451	2322
2014-15	5437	2546
2015-16	5258	2587
2016-17	5728	2805
2017-18	5646	2502
Total	**59189**	**25756**

The details of ACABC scheme are available on the website www.agriclinics.net and www.acabcmis.gov.in .

B. Organization of DAC&FW-ICAR Pre-Seasonal Interface

1. **Overview:** The season wise Pre-Rabi & Pre-Kharif Interface meetings between DAC & FW and ICAR are being organized since **January 1995** with the objective of developing a close interaction between DAC &FW and ICAR so that strategies based on joint efforts could be evolved. The prime task of such interface meetings is to identify the thrust areas for research development and also to identify specific areas for recommendation of development strategies making full use of available research findings.

2. **Mandate:** DAC&FW -ICAR Interface organized twice in a year i.e. Pre-Kharif and Pre-Rabi seasons. Two such interface meetings are being conducted prior to Rabi and Kharif seasons every year and come out with joint strategies in research and development sectors pertaining to agriculture and allied areas. The interface provides a forum to discuss on emerging issues in agriculture and allied activities and finalize recommendations for subsequent crop season. The individual Divisions of DAC& FW organize group meetings along with their counterparts in ICAR and formulate Group Recommendations to be discussed in the subsequent National Conference on Agriculture for respective season (Rabi/Kharif). Then an interface meeting is organized under the co-chairmanship of the Secretary (AC&FW) and Secretary (DARE) with a plenary session followed by presentation from individual divisions, deliberations and fine tuning of Group Recommendations already prepared. These recommendations along with the outcome of Zonal Input Conference (organized twice in a year for Kharif and Rabi season) would form the agenda for discussion with the States in the National Conference on Agriculture for Kharif/Rabi Campaign. The DAC&FW-ICAR interfaces would normally be organized 15 days before to the National Conference on Agriculture Campaign for Kharif/Rabi

3. **Concept:** DAC&FW ICAR Interface is to deliberate on the researchable issues identified by various divisions of agriculture and allied sectors with ICAR, fine tune and then share with the States /UTs during the National Conference on Agriculture for Kharif/ Rabi Campaign.

4. **Activities:** A tentative yearly calendar for various actions to be taken for holding DAC&FW-ICAR Interface was prepared and will be organized among all the Divisions of DAC&FW, Secretary (DARE)-cum-DG (ICAR) and Secretary (DAHD&F).

Season	Tentative dates			
	Zonal Input Conference with States/ UTs	**Formulation of Subject Matter Group Recommendations by Divisions**	**DAC&FW-ICAR Interface under Co- Chair of Secy. (AC&FW) & Secy. (DARE)**	**National Conference on Agriculture for Rabi/Kharif Campaign**
Kharif	10- 15th of January	25-30th of January	7-10th of February	25-28th of February
Rabi	5-10th of August	20-25th of August	1-5th of September	15-20th of September

5. As per the tentative schedule, the Pre-Kharif 2018 DAC&FW -ICAR Interface under the joint-chairmanship of Secretary (AC&FW) & Secretary (DARE)-cum-DG (ICAR) was organized on 27th March 2018 and the finalized Group Recommendations were shared with the States/UTs during the National Conference on Agriculture for Kharif Campaign held on 25th and 26th of April 2018.

6. *P*hotographs of Activities:

DAC&FW-ICAR Interface

PRE-KHARIF 2018 DAC&FW-ICAR INTERFACE

PRE-KHARIF 2018 DAC&FW-ICAR INTERFACE

PRE-KHARIF 2018 DAC&FW-ICAR INTERFACE